

फंद अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोट

..... अमीर जाट बनाम जामब लक्ष्मीकांत साप

किस्म मुकदमा अमीर नं. 42 सन् 2018

<p>तारीख हुवम</p>	<p>हुवम या कार्यवाही मय इतिहास सब</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	---------------------------------------	---

19 ⁴/₁₈

अभिभाषक। अपीलान्ट उपस्थित है। प्रकरण समाप्त अदालत है। अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी जरिये सम्मन रेस्पोंडेंट की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्तीन आदेश से संबंधित मिसल एवं गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये जाने संबंधी मिसल मंगाई जाकर पत्रावली दिनांक 2-5-18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर टोंक

2 ⁵/₁₈

अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित है। अपीलान्तीन आदेश की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली जाकर पत्रावली दिनांक 27-6-18 को पेश हो। P.O. को सम्मानित किया है।

739
21/5/18

27 ⁶/₁₈

अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित है। अपीलान्तीन आदेश की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली जाकर दिनांक 16-8-18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

16 ⁸/₁₈

अभिभाषक अपीलान्ट क पत्रावली जाकर उपस्थित जात्रब लक्ष्मीकांत साप के पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। उसके अहकाम पत्रावली दिनांक 18-10-18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर टोंक



10 ²/₂₀₂₁

अभिजातक अभीलाय उपस्थित है। अभीलाय
से प्रा. प्रज प्रकृत कर निवेशन किया कि
अभीलाय को प्रकृत कर वेगलन जज
निवासी केहित कर उन्निघारा की मूल्ड
हो गई है इस कारण उन्ने अभीर की
आगवाही प्राज किया जाना - चालकेंगत
है। अतः प्रकृतन को इसी स्तर पर
निर्दिष्ट किया जाता है। प्रकृती कैकर
प्रकृत होकर बाद एकीर जाण्ड
दाखिल करार की जाके।

जिला कलेक्टर
टोंक

[Faint handwritten notes and signatures in the lower section of the page, including a signature at the bottom center.]